

प्रेषक,

जी०के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक
पी०ए०सी० मुख्यालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ दिनांक 11 जून, 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2008-09 की संभावित बाढ़ में राहत एवं बचाव कार्य हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री के०के० सक्सेना, पुलिस महानिरीक्षक, पी०ए०सी० के पत्र संख्या-पी०ए०सी-तीन-809-2008 दिनांक 04 जून 2008 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 6 जून, 2008 में लिए गये निर्णय के क्रम में वर्ष 2008-09 की संभावित बाढ़ की दशा में राहत एवं बचाव कार्यों हेतु पी०ए०सी० को रु० 15,00,000/- (रुपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वहन पर अग्रिम रूप पर रखने हेतु अनुगामी प्रस्तारों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

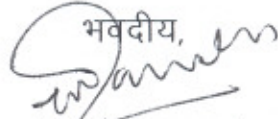
2. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेतर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन व्यय करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र शासन को बाढ़ अवधि की समाप्ति के 10 दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दिया जाय। इस धनराशि का

उपयोग केवल आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स (प्रति संलग्न) में उल्लिखित मदों में ही व्यय किया जाय।

4. शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें संभाविता हो तो उन्हें बाढ़ अवधि की समाप्ति के 10 दिनों के अन्दर शासन को अवश्य समर्पित कर दिया जाय।

5. कृपया व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक तीन माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी०के० टण्डन)

राहत/आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 3073 (1)/1-10-2008-12(73)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम उ०प्र० इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -5।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग 6/11
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव